कड़वा लगेगा । इसलिए यह सब बातें न कही जाएं, मैं तो नहीं कहूंगा क्योंकि उपसभापति महोदया, मैं समझता हूं कि मामले ज्यादा गम्भीर हैं और वह मामले देश की एकता से संबंधित हैं, देश के जनतंत्र से और जम्हूरियत से संबंधित हैं । इस सवाल पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सुझाव रखे हैं उन सुझावों का और हमारे गुप्ता जी के सुझावों का . . . (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अफ़ज़ल उर्फ़ मीम अफ़ज़ल : मेडम . . . (व्यवधान),

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now you cannot intervene when he is not yielding.

श्री चन्द्रशेखर : मैं सरकार की ओर से यह आश्वासन देता हूं अगर इस तरह की सर्विलेंस, इस तरह की टेलीफोन टेपिंग को रोकने के लिए कोई भी कदम यह सदन उठायेगा उस में सरकार पूरी तरह से सहयोग और समर्थन करेगी और मैं यह मानता हूं कि जल्दी ही इस तरह का सुझाव लाएगी । हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि यह सरकार नहीं रहेगी तो जो दूसरी सरकार आएगी वह सुझाव लाएगी, मैं अगर सदस्य रहूंगा इस सदन का नहीं तो दूसरे सदन का फिलहाल रहूंगा, मैं उसका समर्थन करूंगा । उसके बाद अगर चुनाव होंगे तो कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, इस में मैं नहीं पड़ता । मैं भविष्य की चिन्ता में नहीं हूं, मैं वर्तमान की चिन्ता में हूं । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उपदेश देने के पहले आप जरा सोच लें । हमारे मित्र माथुर साहब ने एक शेर कहा, वह मेरी समझ में नहीं आया कि क्या शेर कहा लेकिन उपसभापति महोदया, मैं आपसे एक बात कहूंगा याद रखें माननीय सदस्य अगर उनको उर्दू आती हो—

चाहे साख हो सब्ज़ोबर्ग पे, चाहे गुलचियों गुलखार पे,
मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसलेबहार पे ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at fifty-three minutes past one of the clock.

The House reassembled after launch at forty-nine minutes past two of the clock. **Tre Vice-Chairman (Shri M. A. Baby)** in the Chair.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1990-91.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BHAKTA CHARAN DAS): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 1990-91. [Placed in Library. *See* No. LT—2192/91]

The Delhi High Court (Amendment) Bill, 1991.

THE MINISTER OF COMMERCE WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI SUBRAMANIAN SWAMY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Delhi High Court Act, 1966.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I introduce the Bill.

RE: LAYING OF INTERIM BUDGET ON THE TABLE

THE VICE CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now special mentions.

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Sir, before you take up this special mention, I want to say that, I gave a notice today complaining about irregularities in the laying of the paper on the estimated